

न्यायालय सभागीय आयुक्त, कोटा सभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
 प्रकरण संख्या: 37/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूदी
 दायरा दिनांक 7.8.2020
 किस्म अपील: धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

प्रभूलाल पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी सूसा तहसील नैनवा जिला बूदी (राज0)।

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बूदी-राज0।

..... रेस्पोडेन्ट




उपस्थित : श्री हेमन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी
 श्री सैफुद्दीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::


दिनांक 22.2.2021

- 1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूदी द्वारा प्रकरण संख्या 443/प्रार्थना पत्र/2001 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा बनाम प्रभूलाल आत्मज गंगाराम गुर्जर नि0 सूसा तहसील नैनवा जिला बूदी मे पारित निर्णय दिनांक 12.11.2002 के विरुद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।
- 2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के पक्ष मे आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा ख0 नं0 25 मिन रकबा 5 बीघा, ख0 नं0 594 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम सूसा का दिनांक 9.7.1999 को आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिये तहसीलदार नैनवा द्वारा नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर जेरअपील निर्णय दिनांक 12.11.2002 से अपीलांट को किया गया भूमि आवंटन दिनांक 9.7.99 निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय विधि एवं संचिका के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट के पक्ष मे नियमानुसार बाद जांच पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपना कर उपरोक्त आराजी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था तथा समस्त राशि जमा करा दिये जाने पर आवंटित भूमि पर कब्जा दे दिया गया था तब से अपीलांट आवंटन शुदा आराजी पर काबिज चला आ रहा है और आज भी काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट एवं इसके भाई बहिन एक ही परिवार के सदस्य है जबकि अपीलांट व उसके भाई बहन बालिग है उनका परिवार अलग है और अलग अलग निवास करते है राशन कार्ड भी सभी के अलग अलग है। अतः आवंटित भूमि का आवंटन


 सभागीय आयुक्त
 कोटा सभाग, कोटा

निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर आवंटन बहाल रखे जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

3. अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
4. अपीलांत के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी भूमिहीन होने से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांत को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। भूमि आवंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत का आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांत एवं इसके भाई बहिन एक ही परिवार के सदस्य हैं जबकि अपीलांत व उसके भाई बहन बालिग हैं उनका परिवार अलग है और अलग अलग ही निवास करते हैं राशन कार्ड भी सभी के अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा आवंटन बहाल रखा जावे।
5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंड ने बहस में आवंटन विधि विरुद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय से निरस्त किया जाने का कथन करते हुये अपील अपीलांत खारिज करने का अनुरोध किया।
6. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपील पर गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र में अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.7.2016 को पटवारी हल्का द्वारा आवंटन खारिज होने की बात कहने पर होना तथा नकले प्राप्त होने की दिनांक 26.7.2016 तक की अवधि मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश की जाना वर्णित किया गया। रेस्पोंड द्वारा अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नहीं किया है ना ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांत द्वारा शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली में कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।
7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 9.7.99 को आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांत प्रभूलाल को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि आवंटन कमेटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक ही परिवार के व्यक्तियों को करीब 39 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना विधिसंगत नहीं होने से अपीलार्थी को किया गया आवंटन, निर्णय दिनांक 12.11.2002 से निरस्त किया है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, रिपोर्ट पटवारी तथा आवंटन


 नभागीय आयुक्त
 कोटा संभाग, कोटा

आदेश का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट (बिन्दू सं० 4) अनुसार पिता के खाते में से हिस्सा 1/5 अनुसार सिंचित 2 बीघा असिंचित 4 बीघा कुल 6 बीघा भूमि होना अंकित है तथा अपीलार्थी को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 9.7.99 को वाकै ग्राम सूंसा की ख० नं० 25 मिन रकबा 5 बीघा, ख० नं० 594 रकबा 1 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार हिस्से अनुसार सिंचित भूमि को डबल मानते हुये कुल 8 बीघा तथा उपरोक्त आवंटित भूमि रकबा 6 बीघा कुल 14 बीघा भूमि होती है। अतः स्पष्ट है कि आवंटि के पास उपलब्ध एवं आवंटित उक्त कृषि भूमि दोनों मिलाकर अधिकतम 15 बीघा की सीमा में ही होने से भू आवंटन नियम 20 में तत्समय निहित प्रावधानों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। भूमि आवंटन में कोई अनियमितता होना प्रकट नहीं होता है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक ही परिवार (गंगाराम) के पुत्र-पुत्रियों के नाम लगभग 39 बीघा भूमि के हुये आवंटन को विधिसम्मत नहीं मानते हुये अपीलार्थी का आवंटन जेरअपील निर्णय दिनांक 12.11.2002 से निरस्त किया है जिसे हम न्यायोचित नहीं पाते हैं क्योंकि राज० भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में एक परिवार के अलग-अलग निवासरत आवंटन के पात्र बालिग भाई-बहिनों को भूमि आवंटन किये जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जेरअपील निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने का वर्णित आधार विधिसंगत नहीं होने से हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण सं० 443/प्रा०पत्र/2001 सरकार बनाम कैलाशबाई में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2002 निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 9.7.99 को बहाल रखा जाता है।

- 9 निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा कोटा, कोटा